कार्यालय मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद ।

नीलामी सूचना

सूचित किया जाता है कि कांठ रोड़ स्थित प्राधिकरण कार्यालय एवं आशियाना योजना में स्थित प्राधिकरण गैस्ट हाउस में निष्प्रयोज्य सामान/सामग्री यथा लोहा, प्लास्टिक आदि को जहाँ है जैसा है के आधार पर नीलामी दिनांक 20.11.2021 को प्रातः 11:00 बजे प्राधिकरण कार्यालय के दिल्ली रोड़ सभागार में की जायेगी। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता जमानत धनराशि रू0 10,000.00 दिनांक 18.11.2021 को अपरान्ह 2:00 बजे तक प्राधिकरण के बैंक खाता सं0–019001006737 IFSC Code-ICIC0000190 ICICI BANK सिविल लाईन्स मुरादाबाद में आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से जमा करने के उपरान्त भाग ले सकेंगे। नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाताओं को जमा धनराशि की रसीद नीलामी के समय प्रस्तुत कर टोकन प्राप्त करना होगा।

सामग्री की नीलामी हेतु आरक्षित मूल्य रू0 3,38,983.00+जी0एस0टी 18 प्रतिशत

क्र0सं0	नीलामी हेतु निष्प्रयोज्य सामग्री का विवरण	जमानत धनराशि
1	लोहा, प्लास्टिक एवं एलमूनियम आदि	10,000.00

नीलामी की प्रस्तावित नियम व शर्तेः–

1. निष्प्रयोज्य लोहे एवं प्लास्टिक आदि को जहॉ जैसे है कि आधार पर नीलाम किया जायेगा।
2. नीलामी से पूर्व बोलीदाता सामग्री का निरीक्षण किसी भी कार्यालय दिवस में प्राधिकरण कार्यालय एवं आशियाना स्थित प्राधिकरण गैस्ट हाउस में किया जा सकता है।
3. नीलामी बोलीदाता द्वारा निर्धारित जमानत धनराशि जमा कर स्वयं अथवा उनके द्वारा नियमानुसार अधिकृत व्यक्ति द्वारा भी भाग लिया जा सकता हैं। अधिकृत व्यक्ति के पास बोलीदाता द्वारा दिया गया अथॉरिटी लेटर होना अनिवार्य है।
4. नीलामी में सफल बोलीदाता को नीलामी की 50 प्रतिशत धनराशि तत्काल उसी दिन बैंक समयावधि में प्राधिकरण कोष में जमा करनी होगी यदि बैंक समयावधि व्यतीत हो चुकी है तो अगले कार्य दिवस में अपरान्ह के पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। शेष धनराशि स्वीकृति पत्र के निर्गत तिथि से एक सप्ताह के अन्दर जमा करने के बाद ही सामग्री उठाई जा सकती है।
5. उच्चतम बोलीदाता को नीलामी उपरान्त समस्त निष्प्रयोज्य सामग्री के रख–रखाव का दायित्व बोलीदाता का होगा।
6. सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात निष्प्रयोज्य सामग्री को प्राधिकरण कार्यालय से 03दिन के अन्दर अनिवार्य रूप से ले जाना होगा, अन्यथा निष्प्रयोज्य सामग्री में किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी प्राधिकरण की नहीं होगी तथा प्रतिदिन रू0 1000 की पैनल्टी देनी होगी।
7. नियमानुसार देय जी0एस0टी0 बोलीदाला को उच्चतम बोली के अतिरिक्त जमा करना होगा।
8. नीलामी को अथवा नीलामी की उच्च्तम बोली को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित होगा।
9. किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मुरादाबाद होगा।

सचिव
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण
मुरादाबाद।